



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.com, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या :

081 / NR-41/2016

दिनांक : 30/7/16

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: नवीन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "इक्वा कासा", (प्रमोटर- मेसर्स रुद्रा बिल्डवेल होम्स प्रा०लि०) प्लॉट नं०- जी०एच०-०५ए, सेक्टर- 16, ग्रेटर नोएडा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धी निरीक्षण आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित परियोजना का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र निवेश मित्र के माध्यम से दिनांक 27.06.16 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। प्राप्त आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्र सं० 670/एन०ओ०सी०-41/2016 दिनांक 30.06.16 द्वारा मुख्यालय प्रेषित किया गया है तथा आवेदन पत्र के साथ एन०ओ०सी० शुल्क डी०डी० रू० 50,000/- को क्षेत्रीय कार्यालय देय होने के कारण यहाँ के खाते में जमा करा दिया गया है। उक्त परियोजना के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 29.07.16 को किया गया। संस्तुति सहित स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

नवीन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "इक्वा कासा", (प्रमोटर- मेसर्स रुद्रा बिल्डवेल होम्स प्रा0लि0) प्लॉट नं0- जी0एच0-05ए, सेक्टर- 16, ग्रेटर नोएडा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के संदर्भ में निरीक्षण आख्या।

1. उद्योग का नाम : नवीन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "इक्वा कासा", (प्रमोटर- मेसर्स रुद्रा बिल्डवेल होम्स प्रा0लि0) प्लॉट नं0- जी0एच0-05ए, सेक्टर- 16, ग्रेटर नोएडा।
2. ऑन लाइन आवेदन की तिथि 27.06.16 (निवेश मित्र के माध्यम से)
3. अन्तिम सूचना प्राप्ति की दिनांक 29.07.16
4. स्थल सर्वेक्षण का दिनांक व समय 29.07.16
5. सर्वेक्षण के समय उपस्थित व्यक्ति का नाम व पद श्री अभिषेक शर्मा।
6. (क) नई इकाई नई इकाई (ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट) निरीक्षण के दौरान 10 टावरों में स्ट्रक्चर निर्माण कार्य लगभग पूर्ण पाया गया।
(ख) कार्यरत इकाई विस्तारीकरण नई इकाई।
डायवर्सिफिकेशन/शिफ्टिंग
7. प्रोजेक्ट की कुल लागत परियोजना की लागत रु0 352.81 करोड़ है। (आवेदन पत्र के अनुसार)।
8. लघु, मध्यम या बृहद बृहद।
9. प्रस्तावित स्थल प्लॉट नं0- जी0एच0-05ए, सेक्टर- 16, ग्रेटर नोएडा।
(क) औद्योगिक पत्र उक्त परियोजना हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा द्वारा स्थल आवंटित किया गया है।
1. आवंटन पत्र लागू नहीं।
2. औद्योगिक क्षेत्र का नक्शा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा का आवंटन पत्र संलग्न।
(ब) अन्य संलग्न।
1. भू प्रयोग प्रमाण पत्र (धारा 143 जेड आर एल ए) नहीं।
2. सत्यापित लोकेशन मैप (निरीक्षण द्वारा) संलग्न।
10. कार्यस्थल प्रतिबंधित क्षेत्र आगरा मथुरा या दूनवैली सीमा के अंतर्गत है या नहीं नहीं।
11. 1. निकटतम आबादी की दूरी दिशा व जनसंख्या संलग्न मैप के अनुसार।
2. 2 कि0मी0 त्रिज्या के क्षेत्र में आबादी की दूरी या जनसंख्या संलग्न मैप के अनुसार।
3. 5 कि0मी0 त्रिज्या के क्षेत्र में आबादी की दूरी या जनसंख्या संलग्न मैप के अनुसार।

12. हाइवे से दूरी

संलग्न मैप के अनुसार

1. रेलवे से दूरी
2. हाईटेन्शन लाइन से दूरी
3. धार्मिक सामाजिक स्थल, बाग बगीचे से दूरी एवं अन्य विवरण (2 कि०मी० त्रिज्या क्षेत्र में) संबंधित से अनापत्ति

संलग्न मैप के अनुसार

—
संलग्न मैप के अनुसार।

13. 1. मुख्य उत्पाद (मात्रा सहित)

ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्लॉट एरिया 43105.85 वर्ग मी०, कुल बिल्टअप एरिया 196403.992 वर्ग मीटर।
लागू नहीं।

2. सह उत्पाद (मात्रा सहित)

14. मुख्य कच्चे माल का विवरण (मात्रा सहित)

ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक मैटेरियल्स।

15. प्रस्तावित उत्पादन तिथि

31.12.17 (आवेदन पत्र के अनुसार)।

16. जल प्रदूषण स्रोत एवं रोकथाम की व्यवस्था लागत सहित व्यवस्था की उपयोगिता

आवेदन पत्र एवं परियोजना रिपोर्ट के अनुसार उक्त परियोजना के संचालन में कुल 536 के०एल०डी० जल का प्रयोग किया जायेगा, जिससे लगभग 430 के०एल०डी० सीवरेज उत्पन्न होना जनित होगा। जिस को एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धिकरण के उपरान्त फलशिंग, गार्डनिंग एवं लैण्ड स्कैप में पुनः प्रयोग किया जायेगा। प्रस्तावक द्वारा 520 के०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० की स्थापना का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार वाटर मैनेजमेंट के रूप में शुद्धिकृत उत्पन्नवाह का उपरोक्तानुसार फलशिंग, हार्टिकल्चर, कूलिंग एवं लैण्ड स्कैपिंग में प्रयोग करने के उपरान्त शेष शुद्धिकृत उत्पन्नवाह को पब्लिक सीवर के माध्यम से निस्तारित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूर्ण प्रस्ताव संलग्न है।

17. वायु प्रदूषण स्रोत एवं रोकथाम की व्यवस्था लागत सहित व्यवस्था की उपयुक्तता

ग्रुप हाउसिंग परियोजना को विद्युत बाधित होने की दशा में आपूर्ति हेतु एकास्टिक एनक्लोजर के साथ 3000 के०वी०ए० के डी०जी० सेट्स की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

चिमनी की ऊंचाई एवं वायु प्रदूषण संयंत्र का नाम

उपरोक्त डी०जी० सेटों पर बोर्ड मानकों के अनुरूप चिमनियाँ स्थापित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

18. (क) हैजार्डस केमिकल्स के नाम
भण्डारण हैण्डलिंग, उत्पादन आदि
(ख) टोस अपशिष्ट की मात्रा एवं निस्तारण

लागू नहीं।

प्रस्ताव के अनुसार परियोजना के संचालन से जनित नगरीय टोस अपशिष्ट का निस्तारण एम०एस०डब्लू० रूल्स-2000 के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

19. (क) क्राइसिस मैनेजमेंट
प्लान/रिअसेसमेंट/सेप्टी रिपोर्ट
(ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आख्या

प्रस्तावक द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान का संक्षिप्त विवरण आवेदन पत्र में उल्लिखित किया गया है।
इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रेषित नहीं की गई है।

20. उद्योग एक्शन प्लान के अन्तर्गत है या नहीं नहीं।
21. हरित पट्टिका का प्रस्ताव प्रस्तुत सूचनाओं के अनुसार परियोजना में मानकों के अनुरूप हरित पट्टिका का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
22. शपथ पत्र दिया गया है अथवा नहीं नहीं।
23. कार्यरत इकाईयों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं।
निदेशक/स्वामियों की अन्य सभी इकाईयों का पूर्ण विवरण
24. प्रस्ताव बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुरूप है या नहीं मुख्यालय स्तर से प्रस्ताव का तकनीकी मूल्यांकन किया जाना उचित होगा।
25. जिला पर्यावरण समिति की आख्या व संस्तुति लागू नहीं।
26. प्रस्तावित योजना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के कार्यान्वयन का समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबन्धन प्लान के अनुसार।
27. कार्यरत/सह इकाई द्वारा जल अधिनियम/वायु अधिनियम/उपकर अधिनियम के अन्तर्गत देय शुल्क के भुगतान की स्थिति:-
अ: सहमति शुल्क जल:-
सहमति शुल्क वायु :-
ब: एनओसी शुल्क
विवरण प्रस्तुत नहीं।
लागू नहीं।
लागू नहीं।
आवेदन पत्र के साथ एनओसी शुल्क हेतु रु० 50,000/- का एक ड्राफ्ट प्रेषित किया गया है, जो क्षेत्रीय कार्यालय देय होने के कारण यहाँ के खाते में जमा करा दिया गया है।
28. अन्य विशेष उल्लेख निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रगति पर पाया गया। लगभग 10 टावरों में 5 से 15 मंजिल तक स्ट्रक्चर निर्माण कार्य हो चुका है उपस्थित प्रतिनिधि को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा बिल्डर्स/बिल्डिंग निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालय की समिति की संस्तुति उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये एनओसी आवेदन का सत्यापन मुख्यालय स्तर से करने के उपरान्त उक्त ग्रुप हाउसिंग परियोजना हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति उ०प्र० द्वारा प्रदत्त की जाने वाली पर्यावरणीय स्वीकृति के अन्तर्गत आरोपित सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों के अनुपालन की शर्त के साथ पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

K Singh
30/07/16
(किशन सिंह)
अवर अभियन्ता

उत्सव शर्मा
3/5/16
(उत्सव शर्मा)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०),

Pleee
30/7/16

CEO1 महेंद्र